अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2018 (RCMS 2018/00185) श्री गोविन्द नारायण किराडू पुत्र श्री विश्वनाथ किराडू , निवासी कोठारी अस्पताल के सामने वाली गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर बनाम तहसीलदार (राजस्व), रावला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावला के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और 250/— प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थी को दिलाई जाने एवं लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.08.219 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. तहसील राजस्व, रावला के चक 2 केएलडी के मुरब्बा नं 16/28 की सम्वत 2049 से 2052 की वर्तमान गिरदावरी व जमाबंदी की छायाप्रति उपलब्घ करावें।
2. तहसील राजस्व रावला के चक 2 केएलडी मुरब्बा नं. 16/28 की सम्वत 2024 से 2070 की वर्तमान गिरदावरी व जमाबंदी की छायाप्रति उपलब्घ करावे।
3. तहसील राजस्व रावला के चक 2 केएलडी मुरब्बा नं 16/28 का नक्शा व आसा पासा चक प्लान की छायाप्रति उपलब्ध करावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपतहसीलदार, रावला ने अपने पत्रांक भू.अ./84 दिनांक 13.11.218 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना का पत्र 10/P.O. No. 41F 367087 दिनांक 31.08.2018 का पत्र 04.09.2018 को प्राप्त हुआ। जिसमें दिनांक 05.09.2018 को प्रार्थी को निर्धारित शुल्क एवं सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। दिनांक 08.10.2018 को प्रार्थी को दुबारा पत्र P.O. No. 41F 367552-53] 20/- के साथ प्राप्त हुआ। जिसमें सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना की शुल्क राशि के बारे में बताया गया। जो कि पटवारी हल्का एवं राजकीय शुल्क से काफी कम होने के कारण तहसीलदार साहब के आवश्यक बातचीत करने पर सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया तथा इसी दिन उक्त दस्तावेज पंजीकृत डाक से भिजवाने हेतु उपतहसीलदार, 365 हैड को पत्रांक 1278/08.10. 2018 द्वारा भिजवा दिया। उपतहसीलदार, 365 हैड द्वारा रोटेशन के अनुसार बिन्दु सं. 1 की पालना में 2049 से 52 की जमाबंदी, गिरदावरी तथा हल्का पटवारी से प्राप्त चालू सम्वत् 2069 से 72 की जमाबंदी गिरदावरी तथा नजरी नक्शा जो पत्रावली द्वारा तैयार किया गया, प्राप्त कर पंजीकृत डाक रसीद संख्या CR 725138049 का 36/— दिनांक 16.10.2018 को भिजवाया। श्रीमान्जी से निवेदन है कि 2069—72 का चालू रिकॉर्ड है जो सेमिगेशर के कारण निरन्तर चल रहा है। प्रार्थी द्वारा 2064 की जमाबंदी, गिरदावरी चाही गई थी जो कि 2061—64 की रोटेशन में आता है। प्रार्थी द्वारा 2064 की नकल चाही गई थी जो कि रोटेशन में 2065 से 68 से सम्बन्धित है।

श्रीमान्जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उप—तहसीलदार (भू.अ.)
365 हैड मण्डी (2 के.एल.डी.)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ तहसीलदार (भू.अ.), रावला के पत्रांक भू.अ./2018/1245 दिनांक 25.09.2018 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार तहसीलदार(भू.अ.), रावला ने अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना प्रेषित की है:

> विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत छाया प्रति जो आप द्वारा चाही गई है निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते है, जिसकी नियमानुसार राजकीय शुल्क देय है :
>
> **बिन्दु सं. 1** : चक 2 केएलडी के मु.नं. 16/28 की सम्वत् 2049 से 2052 तक जमाबन्दी व गिरदावरी की छाया प्रति उपतहसील 365 हैड के रिकॉर्ड रूम से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त की जा सकती है।
>
> शुल्क जमाबन्दी 10 खसरा तक 10रू. अतिरिक्त 1. खसरा तक 5रू.
>
> शुल्क गिरदावरी 10 खसरात क 10रू. अतिरिक्त 10 खसरा 10 रू.
>
> **बिन्दु सं0 2.** : जमाबन्दी रोटेशन सम्वत् 2065—2068 व गिरदावरी की छाया प्रति उपतहसील 365 हैड के रिकॉड रूम में निर्धारित शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है।
>
> **बिन्दु स0 3.** : चक 2 केएलडी मु.नं. 16/28 का नक्शा मय आसापास की प्रतिलिपि हल्का पटवारी से निर्धारित फीस संदाय कर प्राप्त की जा सकती है। नजरी नक्शा की निर्धारित शुल्क प्रत्येक 10 खसरा तक 20/—

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रावला ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/1245 दिनांक 25.09.2018 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका है एवं अपीलार्थी नियमानुसार राशि जमा कर लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ), रावला को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर